BUREAU OF INDIAN STANDARDS

FOR IMMEDIATE RELEASE

PRESS NOTE: G/35/2017-18 **15 March 2018**

URGENT IMPLEMENTATION OF REVISED NATIONAL BUILDING CODE URGED

Bureau of Indian Standards (BIS) jointly with the Institution of Engineers (India), Udaipur Local Centre and the College of Engineering & Technology, MPUAT, Udaipur is organizing a two-day National Workshop on "National Building Code of India 2016" in Udaipur. The workshop is aimed to sensitize the state authorities, all local bodies, builders, developers and building professionals for urgent implementation of the revised National Building Code of India 2016 (NBC 2016) to ensure that large number of buildings being constructed in the country are functionally efficient, disaster resistant and sustainable.

Inaugurating the workshop, Vice-Chancellor, Maharana Pratap University of Agriculture and Technology (MPUAT), Udaipur, Dr U. S. Sharma said that NBC 2016 incorporates comprehensive administrative and technical provisions which can be readily adopted by the local bodies to suitably revise and revamp their building bye-laws. BIS after extensive work for two years through its 22 expert Panels involving around 1,000 experts, has brought out the new state-of-the-art National Building Code in two volumes, totaling 33 chapters. He emphasized that, apart from implementation of the Code by various authorities and professionals, all academic institutions imparting technical education in architecture and engineering should utilize it as part of the curriculum so that future architects and engineers are well-trained about the provisions of NBC in advance to help them serve effectively in the field during their professional life. Shri Sanjay Pant, Director, BIS in his key note address mentioned that, with its vast coverage on accessibility, low income housing, rural and hill area development planning, structural safety of buildings in regions prone to natural disasters, environmental sustainability, the NBC 2016 is of great **socio-economic relevance** including for **Accessible India Campaign** of the Government of India. The provisions on use of new & innovative materials and technologies and on prefabricated construction techniques can give fillip to speedier construction to meet the objectives of **Housing for All by 2022** as envisaged by the Government of India. The provision on information and communication enabled buildings will facilitate implementation of the vision areas of **Digital India Campaign**. The Code also contains administrative aspects prescribing norms for time bound building approval, based on integrated approval process from all concerned agencies through single window clearance approach and adopting online process, thereby promoting **Ease of Doing Business**. He further said that it is a matter of great satisfaction that state-of-the art revision of some of the important earthquake codes has been successfully accomplished recently, and the same have also been duly absorbed in NBC 2016. By encompassing latest provision on safety against such natural and man-made disasters like fire, the Code gives special thrust to **Disaster Mitigation**.

In the workshop, a series of technical presentations are being made by various experts and professionals from across the country. The workshop urged the local building regulatory authorities to urgently implement the NBC 2016 by revising and revamping their building bye-

laws, and exhorted the builders and developers to copiously follow its provisions in their construction programmes keeping the interest of the common buyers as supreme.

Around 250 delegates representing various stakeholder interests such as, regulatory authorities, local bodies, Government Construction Departments, builders, developers, building professionals and consultants, building material manufacturers, and faculty and students from academic institutions are participating in the event.

भारतीय मानक ब्यूरो

तत्काल रीलीज के लिए

प्रेस नोट: जी/35/2017-18 **15 मार्च 2018**

पुनरीक्षित राष्ट्रीय भवन-निर्माण संहिता के शीघ्र कार्यान्वयन की आवश्यकता

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने संयुक्त रूप से इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (भारत), उदयपुर स्थानीय केन्द्र और कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एमपीयूएटी (उदयपुर) के साथ उदयपुर में "भारत का राष्ट्रीय भवन-निर्माण संहिता 2016" पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया । कार्यशाला का उद्देश्य राज्य के अधिकारियों, सभी स्थानीय निकायों, बिल्डरों, डेवलपरों और भवन निर्माण से जुड़े प्रोफेशनलो को संशोधित भारतीय राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2016 (एनबीसी 2016) के कार्यान्वयन के लिए सुग्राह्य बनाना था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि देश में बड़ी संख्या में निर्मित इमारतें कार्यात्मक रूप से कुशल, आपदा प्रतिरोधी और टिकाऊ हैं।

कार्यशाला का उद्घाटन महाराणा प्रताण कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के कुलपति ने किया। डॉ यू.एस. शर्मा ने कहा कि एनबीसी 2016 में व्यापक प्रशासनिक और तकनीकी प्रावधान शामिल हैं जो कि स्थानीय निकायों द्वारा सहजता से अपनाया जा सकते हैं ताकि उनके भवन उप-नियमों में उपयुक्त पुनरीक्षण और सुधार किया जा सके। बीआईएस ने अपने 22 विशेषज्ञ पैनलों, जिनसे करीब 200 विशेषज्ञ शामिल हैं। उन्होंने दो साल तक गहन कार्य के पश्चात् कुल 33 अध्यायों के दो खंडों में अत्याधुनिक राष्ट्रीय भवन-निर्माण संहिता प्रकाशित की। उन्होंने इस पर बल दिया कि, विभिन्न प्राधिकारियों और प्रोफेशनलों द्वारा संहिता के कार्यान्वयन के अतिरिक्त , वास्तुकला और इंजीनियरिंग में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले सभी शैक्षणिक संस्थान पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में इसका उपयोग करें ताकि भविष्य के वास्तुकारों और इंजीनियरों को एनबीसी के प्रावधानों के बारे में प्रशिक्षित किया जा सके। इसमें वे अपने व्यावसायिक जीवन में प्रभावी ढ़ंग से इसका उपयोग कर सकें। श्री संजय पंत, निदेशक, बीआईएस ने अपने व्याख्यान में कहा कि कम आय वाले आवास, ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्र विकास योजना, प्राकृतिक आपदाओं वाले क्षेत्रों में इमारतों की संरचनात्मक सुरक्षा, पर्यावरण स्थिरता पर व्यापक क्षेत्र उपलब्धता के साथ, एनबीसी 2016 में भारत सरकार के **एक्सेसिबल इंडिया अभियान** में व्यापक **सामाजिक-आर्थिक** प्रासंगिकता है। नई और नवोन्मेष सामग्री और प्रौद्योगिकियों के प्रयोग के प्रावधान और पूर्वनिर्मित निर्माण तकनीकों पर भारत सरकार द्वारा परिकल्पित सभी के लिए 2022

तक आवास के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तेजी से निर्माण को प्रोत्साहन दे सकता है। सूचना और संचार सक्षम भवनों के प्रावधान डिजिटल इंडिया अभियान के क्षेत्रों के कार्यान्वयन की सुविधा होगी।संहिता में समयबद्ध भवन निर्माण के नियमों को निर्धारित करने के लिए प्रशासनिक पहलुओं को भी शामिल किया गया है, जो सिंगल विंडो क्लियरेंस पद्धति के माध्यम से सभी संबंधित एजेंसियों से एकीकृत अनुमोदन प्रक्रिया पर आधारित है और इसकी प्रक्रिया ऑनलाइन है जिसे अपनाने से व्यापार करना आसान हो। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि यह बहुत संतोषजनक है कि हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण भूकंप सहिंता का अत्याधुनिक पुनरीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है और यह भी एनबीसी 2016 में पूरी तरह से शामिल किया गया है। आग जैसी प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं पर सुरक्षा के नवीनतम प्रावधान को शामिल करके, संहिता में आपदा निवारण पर विशेष बल दिया है।

कार्यशाला में, देशभर के विभिन्न विशेषज्ञों और प्रोफोशनलों द्वारा तकनीकी प्रस्तुतियों की श्रृंखला बनाई जा रही है। कार्यशाला में स्थानीय भवन नियामक प्राधिकरणों से आग्रह किया गया कि वे एनबीसी 2016 को अपने भवन उप-नियमों में पुनरीक्षण और संशोधित करके तत्काल लागू करें और बिल्डरों और डेवलपरों को अपने निर्माण कार्यक्रमों में इन प्रावधानों का व्यापक पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि साधारण क्रेता के हित को सर्वोच्च रखा जा सके।

विभिन्न हितधारक हितों के लगभग 250 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया जिनमें विनियामक प्राधिकारी, स्थानीय निकायों, सरकारी निर्माण विभाग, बिल्डरों, डेवलपरों, बिल्डिंग प्रोफेशनल और सलाहकार, निर्माण सामग्री निर्माताओं, और संकाय और अकादमिक संस्थानों के छात्र शामिल थे।

Two Days Workshop on Nationa
March 15-
Organis
The Institution of
Udaipur Lo
In associa
Bureau of Indian Standards, New Delhi
College of Techo ineering, MPUAT, Ud
Er. S.L. Godawat
Er. Satish Tanwar
Dr. S.S. Rathore